

रोटरी डायलिसिस केन्द्र का शुभारंभ एक को

कोटा, (निर्स)। रोटरी क्लब कोटा द्वारा जकरुतमंद शहरवासियों के लिए गोबरिया बावड़ी स्थित मानव सेवा समिति अस्पताल, परिसर में डायलिसिस केन्द्र खोला जा रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के द्वारा 1 दिसम्बर को रोटरी बिनानी सभागार में आयोजित समारोह में डायलिसिस केन्द्र का शुभारंभ किया जाएगा। अध्यक्ष मुकेश व्यास ने बताया कि क्लब द्वारा रोटरी अन्तर्राष्ट्रीय ग्रान्ट के माध्यम से 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की 6 किडनी डायलिसिस मशीन संचालित की जाएगी। निवर्तमान अध्यक्ष प्रीतम गोस्वामी ने बताया कि उद्घाटन समारोह में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही, रोटरी प्रान्त 3056 के पूर्व प्रांतपाल निर्मल कुणावत विशिष्ट अतिथि होंगे। क्लब कोषाध्यक्ष जयंत उपाध्याय ने बताया कि रोटरी क्लब कोटा द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वाधान में 11-12 दिसंबर को रोटरी बिनानी सभागार परिसर शांतिंग सेंटर में निशुल्क विकलांग सहायता उपकरण वितरण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें जकरुतमंद दिव्यांगजनों को जयपुर रोटरी (कृत्रिम पैर), कृत्रिम हाथ, कैलीसरी, वेसासियाँ, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, हिर्यरिंग हेड (सुनने की मशीन) आदि उपकरण वितरित किए जाएंगे।

नाम परिवर्तन
MY NAME HAS BEEN CHANGED FROM FATEMA TO FATEMA GULZAR SO I WOULD BE RECOGNISED BY MY NEW NAME FATEMA GULZAR WITH IMMEDIATE EFFECT FROM:-FATEMA GULZAR W/O HOZEFA GULZAR PURANI DHAN MANDI JHALRAPATAN, DIST JHALAWAR RAJASTHAN, 326023

नाम परिवर्तन
MY NAME HAS BEEN CHANGED FROM HOZEFA TO HOZEFA GULZAR SO WOULD BE RECOGNISED BY MY NEW NAME HOZEFA GULZAR WITH IMMEDIATE EFFECT FROM :- HOZEFA GULZAR S/O SHABBI BHAI PURANI DHAN MANDI JHALRAPATAN, DIST JHALAWAR RAJASTHAN,326023

पश्चिम मध्य रेल
भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप. मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्यों के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्या:** उप. म. इंजी. (नि) कोटा-09-2024, **कार्य का विवरण:** राजस्थान राज्य में पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में समानजमंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के संबंध में पहले से ही कमीशन की जा चुकी लाइन के घाटोली - नयागां खंड में विभिन्न स्थानों पर स्टेशन/इंजिनखाना का कार्य करना। **निविदा खुलने की तारीख:** 16.12.2024, **अनुमानित लागत (₹):** ₹ 8,59,33,205.93 (सिंगल पैकेट सिस्टम)। **नोट:** पूर्ण विवरण वेबसाइट www.treps.gov.in पर अपलोड की गई ई-निविदा में तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, कोटा के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा खोलने की तारीख से पहले निष्पक्ष रूप से वेबसाइट देखते रहें और निविदा में किसी भी परिवर्तन/शुद्धि पर ध्यान दें। ऑफर सिर्फ ई-निविदा के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। ई-निविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **उप.मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-23 नाम हस्तान्तरण चाहने श्रवण आम सृचना दिनांक:-25.11.24 नगर विकास न्यास कोटा की केशवपुर-7 आवासीय योजना के पूरुखंड/आवास संख्या 102 का आवंटन/हस्तान्तरण/वि. न्यास के पत्र दिनांक 13.12.1982 को श्री लेखराज पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण को आवंटन किया गया था। आवंटनी द्वारा उक्त पूरुखंड/आवास का जर्न मुखाराम श्रमती लक्ष्मी मेवाड़ा पुत्र श्री शिवचरण मेवाड़ा द्वारा जर्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2024 को श्री कोशल किशोर मेवाड़ा पुत्र श्री कन्हैया लाल मेवाड़ा को विक्रय कर दिया गया है। अतः केला उक्त पूरुखंड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः जरूरी आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियवाद गुजरने के परचाता उक्त पूरुखंड/आवास संख्या 102 योजना केशवपुर-7 आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री कोशल किशोर मेवाड़ा पुत्र श्री कन्हैया लाल मेवाड़ा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर पालिका संग्रह जिला कोटा (राज.)
क्रमांक./न.पा.सा./भूमि/2024-25/3083 प्रारूप-10 दिनांक:-26.11.24 (नियम 6 (7) **लोक सूचना**
श्री पंकज शर्मा/बजरविवारी शर्मा संगोद निवासी संगोद ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात:-
जिले सहित तहसील का नाम ग्राम का नाम खसरा नं. गैर कृषि प्रयोजन क्षेत्र
तहसील संगोद संगोद 2681/1103 फेडरल पम्प मूल खसरा क्षेत्रफल 0.32 हेक्टर में से दक्षिणी -पश्चिमी पार्श 35x.35=1225 वर्गमीटर (फेडरल पम्प) एवं 1070 वर्गमीटर (मार्गाधिकार)
इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान प. राजस्व अधिनियम 1958 को धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम, 1955 को धारा 63 के अधीन पूर्वीक प्रयोजन के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर आवेदन सम्य के दौरान अधीनहासिलकर्ता के समक्ष समर्पक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपयुक्त निवत सम्य के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेर हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आव 26.11.2024 को जारी की गयी।
अधिकारी अधिकारी नगर पालिका संगोद

कार्यालय नगरपालिका इटावा जिला कोटा (राज.)
क्रमांक./न.पा.स./भूमि/2024-25/2925 दिनांक:-21.11.2024 (प्रारूप-10) (नियम 6 (7) **शेषिका** **प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका इटावा लोक सूचना**
श्री नेमोचंद पुत्र बालू लाल जाति बैरावा निवासी गणेशगंज, श्री महेन्द्र कुमार नायक पुत्र मोहन लाल जाति नायक निवासी इटावा, श्री हंसराज वर्मा पुत्र मोहन लाल वर्मा जाति बैरावा त. पीपल्या जिला कोटा (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-
जिले सहित तहसील का नाम ग्राम का नाम खसरा सं. क्षेत्र
जिला कोटा तहसील पीपल्या मोदी 729 रकबा 0.09 है. 730 रकबा 0.35 है. 731 रकबा 0.09 है.
अतः उक्त खसरो के समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान प. राजस्व अधिनियम, 1956 को धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम, 1955 को धारा 63 के अधीन पूर्वीक प्रयोजन के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय सम्य के दौरान अधीनहासिलकर्ता के समक्ष सम्य दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपयुक्त निवत सम्य के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा।
अधिकारी अधिकारी नगर पालिका इटावा

कोटा में संविधान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में भीतरघात के मुद्दे पर हंगामा

कोटा, (निर्स)। कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को संविधान दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ गया। नौबत हाथपाई तक आ गई। हालांकि बीच-बचाव के बाद मामला शांत हो गया लेकिन कार्यक्रम में देर तक गहमागहमी बनी रही। हंगामा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भितरघात का मुद्दा उठने के बाद हुआ। इस दौरान कांग्रेसी नेता एक-दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। संगोष्ठी कांग्रेस कार्यालय में हुई। इस दौरान विज्ञान नगर इलाके के कार्यकर्ता आसिफ मिर्जा संविधान दिवस के उपलक्ष में बोल रहे थे। उन्होंने अचानक भितरघात का मुद्दा उठाया और कहा कि लोकसभा चुनाव में राखी गौतम और पहले शिवकांत नन्दवानी की हार के लिए कौन-कौन जिम्मेदार रहा है। उन्होंने कहा कि हाइली तो संविधानसभा चुनाव में तीन-तीन मंत्री थे। माले पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि हंगामा जैसी बात नहीं है। बस दो नेता आपस में अपनी बात रख रहे थे। पीसीसी के निर्देश पर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेसजनों भीमराव अम्बेडकर की

- लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल, विधानसभा चुनाव में राखी गौतम और पहले शिवकांत नन्दवानी की हार के लिए कौन-कौन जिम्मेदार रहा है
- शांति धारीवाल का नाम सुनते ही उनके गुट के कार्यकर्ता ने हंगामा शुरू कर दिया

दौरान बात बड़ गई और हाथपाई की नौबत आ गई। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव किया और केवल संविधान के मुद्दे पर ही बातचीत सीमित रखने की चेतावनी दी। वहीं संगोष्ठी में जिला महामंत्री ने कहा कि उन लोगों को बाहर किया जाए जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गद्दारी करके भाजपा का साथ दिया था। ऐसे लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाए। यह लोग अब कांग्रेस के बैनर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर भी मलाई खाना चाहते हैं और वहां पर भी मलाई खा रहे हैं। मामले पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि हंगामा जैसी बात नहीं है। इसका दुरुप्रयोग किया जा रहा है। इसका कांग्रेसजन डटकर मुकाबला करेंगे और संविधान की सुरक्षा हेतु जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने कहा कि आज हमारा देश

‘नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य संविधानिक धरोहर’

कोटा, (निर्स)। रानपुर में स्थित जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, कोटा में 26 नवम्बर को संविधान दिवस/राष्ट्रीय विधि दिवस का विविध आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित संविधान दिवस के अवसर पर कोटा की अतिरिक्त जिला जज एवं सचिव, कोटा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, गीता चौधरी, विश्वविद्यालय के चेअरपर्सन व राजस्थान प्रशासनिक के पूर्व अधिकारी आर.डी.मीणा, कुलपति (प्रेसिडेण्ट) प्रो.डी.पी. तिवारी द्वारा विश्वविद्यालय में जन-निर्मित मूट कोर्ट के विद्यार्पण से संविधान दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रारम्भ में विधि अध्ययन केन्द्र की प्रभारी डॉ. शैलेश शर्मा ने आगन्तुक अतिथियों के भावपूर्ण स्वागत के साथ संविधान दिवस की महत्ता बताई। वि. वि. के चेअरपर्सन आर.डी.मीणा ने समस्त उपस्थित समूह को संविधान दिवस की प्रेषित की व संविधान अंतर्गत महिला सशक्तिकरण जैसे प्राधान्यों पर प्रकाश डालते हुए जय मीनेश विश्वविद्यालय विधि अन्तर्गत विधि अध्ययन केन्द्र की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों व व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला जज एवं सचिव, कोटा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, गीता चौधरी ने अपने

- जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस मनाया
- कोटा के जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस व्याख्यान आयोजित
- भारतीय संविधान की धारा 51-ए के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी

भारतीय संविधान निर्माण की परिस्थितियों व वर्तमान में किये जा रहे आवश्यक संशोधनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को संविधान की सामान्य जानकारी की दिशा में प्रेरित किया। कार्यक्रम के अन्त में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.नेन्द्र कुमार शर्मा ने संविधान दिवस की वधाई देते हुए व संविधान दिवस के कार्यक्रम में जन-मीनेश आदिवासी वि.वि. के विद्यार्थियों के अतिरिक्त रानपुर व बावड़ीखेड़ा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वि.वि. की असोसिएट प्रोफेसर मुक्ति पाराशर सहायक कुलसचिव डॉ.संजय कमार मीणा, असोसिएट प्रोफेसर डॉ.सुमन भारती मीणा, डॉ जितेन्द्र कुमार दोतानिया, डॉ. रवि झुपारवत, डॉ.संजय कुमार, डॉ. नमिता गोस्वामी, डॉ. सुरेश मीणा, जयाराम मीणा, हर्षिता जैन, गिरजा मीणा, भारत शर्मा, देवेन्द्र आचार्य, सचिन कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के विधि विभाग के असोसिएट प्रोफेसर अभिषेक कुमार मीणा के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम का विधिवत संचालन डॉ ज्योत्सना वर्मा द्वारा किया गया।

लूट के आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर

कोटा, (निर्स)। गुमानपुर इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 36 लाख की ठगी लूट के आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों बनाकर कुछ सुराग के आधार पर आरोपियों की तलाश के लिए रवाना की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों में से कुछ ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। ठगों ने कहा कि ड्रस के ब्यापार के मामले में ये पुलिस कार्वाई की जा रही है। इसके बाद ऑफिस में काम करने वाले लड़के को अपने साथ ले गए। इसके बाद उसे हैंगिंग ब्रिज टोल लाकर छोड़ दिया और खुद आगे निकल गए। कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि चार-पांच महीने पहले फाइनेंस कंपनी के नाम से भगवानपुर टीचर्स कॉलोनी में एक मकान किराए पर कुछ लोगों ने लिया था। जहां पर लूट की वारदात हुई है। प्रारंभिक तौर पर यह लूट की वारदात को पांच बदमाशों ने अंजाम दिया है। इनमें से दो बदमाश पुलिस की वर्दी में थे और लूटी हुई राशि करीब 36 लाख रूपए बताई जा रही है। घटनाक्रम को जब अंजाम दिया जा रहा था तब मकान मालिक भी वहां पहुंच गए थे। तब लूटेरों ने उन्हें कहा था कि यह लोग ड्रस का ब्यापार करते हैं।

सार-समाचार

रोजगार सहायता शिविर 28 को

कोटा, (निर्स)। उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय कोटा की ओर से रोजगार सहायता शिविर का आयोजन 28 नवम्बर को प्रातः 10 से सायः 4 बजे तक महावच उम्मेद सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। जिसमें युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार एवं रोजगार परक प्रशिक्षण के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। उपनिदेशक मनोज कुमार पाठक ने बताया कि शिविर में राज्य एवं राज्य से बाहर की विभिन्न निजी कम्पनियों से टेक्नियन रिलेशनशिप ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, सर्विस इंजीनियर, टेक्निकल ऑपरेटर, फिटर फाइनेंस एडवाइजर, सेल्स मैनेजर एवं सिस्कोरटी सुपरवाइजर के पदों के लिए लगभग 1200 रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं 10वीं, 12वीं, स्नातक, कम्प्यूटर जानकार, आईटीआई, डिप्लोमाधारी है। आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। शिविर में विभिन्न पदों के लिए आशार्थियों का प्रारंभिक चयन किया जायेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बीमा कम्पनियों बीमा अभिकर्ताओं के लिए चयन करेंगे।

छेड़छाड़ के आरोपी को 2 साल की सजा

कोटा, (निर्स)। ट्रेन में महिला यात्री से छेड़छाड़ के 9 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए रेलवे न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 20 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया। लोक अभियोजन अधिकारी रेलवे ने बताया कि ट्रेन में महिला यात्री से छेड़छाड़ के मामले में पकड़े गए आरोपी जिला बड़ोदरा गुजरात के अजीत नगर निवासी शिवकुमार (53) को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे ने दोषी मानते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया। यह था मामला-18 नवंबर 2015 को फरियादी महिला ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दी कि 17 नवंबर 2015 को नई दिल्ली से मुंबई ट्रेन नंबर 12952 से जाते समय कोच बी-6 की सीट नंबर 6 पर बैठे यात्री ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश करते हुए जिला बड़ोदरा के गुजरात निवासी शिवकुमार को गिरफ्तार किया था।

हत्या के प्रयास में फरार आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। आरकेपुरम पुलिस टीम ने आरटीयू छात्रों के दो गुटों के बीच में हुए झगड़े में हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरकेपुरम आर्थिक दंड से दंडित किया। लोक अभियोजन 29 सितंबर को किशनगढ़ निवासी राहुल बोचल्ल्या ने थाने में रिपोर्ट दी थी हाड़ी रानी सिकल के समीप चाय की दुकान पर मित्र के साथ बैठे थे तभी कॉलेज के छात्र हर्ष, दीपक, निकेत, लक्ष्य, रोहित और सौरव से आपसी बहस होने पर उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुये फरार चल रहे दो आरोपी रोहित और सौरव को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिषेक में भेज गया।

प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन

कोटा, (निर्स)। संविधान दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में विशेष प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सैलिंग) कृष्णा शुक्ला ने किया। उन्होंने भारतीय संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे संपूर्ण भारत की आत्मा करार दिया। शुक्ला ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए छात्रों को संविधान की विशेषताओं और उसके महत्व को समझने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में सहायक निदेशक रचना शर्मा, लेखाधिकारी देवेंद्र चौहान, सहायक जनसंपर्क अधिकारी आकांश शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मितेंद्र सिंह चौहान, लिपिक राजेश गुर्जर और अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

मंगलसूत्र छीनने का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। कुन्हाडी इलाके में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुये मंगलसूत्र छीनने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को बापदा गिरफ्तार किया। कुन्हाडी थानाधिकारी ने बताया कि 21 नवंबर को फरियादी ने रिपोर्ट दी की 19 नवंबर को बच्चे को स्कूल से पैदल लाते समय रिद्धि-सिद्धि टॉवर के समीप बाईक पर एक व्यक्ति आया जिसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, झपट्टा मारते हुये गले से मंगलसूत्र छीन कर ले गया। मामला दर्ज करते अज्ञात अभियुक्त को बापदा बाईक सहित गिरफ्तार किया है।

‘सामाजिक सुरक्षा पेंशनर 30 नवम्बर तक भौतिक सत्यापन कराएं’

कोटा, (निर्स)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं एकल नारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे 219606 लाभार्थी को पेंशन को नियमित रखने के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। अब तक जिले में 205143 पेंशनर ने ही भौतिक सत्यापन करवाया है। वर्तमान में 14463 पेंशनर भौतिक सत्यापन से शेष हैं। यह भौतिक सत्यापन 30 नवम्बर तक ई-मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सविता कुष्णिया ने बताया सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए उपलब्ध कराये गये मोबाईल एप के माध्यम से भी लाभार्थी घर बैठे भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 नवम्बर तक नहीं करवाने पर आगामी माह से पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा नहीं होगी एवं उनकी पेंशन बन्द कर दी जायेगी। साथ ही, पालनहार योजना अन्तर्गत लाभान्वित बच्चों के वार्षिक भौतिक सत्यापन से लांबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, कोटा द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को अभिभावक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उन्हें उनके विद्यालय में अध्ययनरत, पालनहार योजना में लाभान्वित होने वाले बच्चों के वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए अध्ययन प्रमाण पत्र ई-मित्र के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने में आवश्यक सहायता करेंगे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
चन्द्रमौली आवासीय योजना,
चन्द्रसल, कोटा
शहर वासियों के सपनों में रंग भरने के लिए कोटा विकास प्राधिकरण लाया है **चन्द्रमौली आवासीय योजना**
कुल भूखण्ड : 222

आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ की तिथि : 25 अक्टूबर 2024
आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि : 30 नवम्बर 2024
आवेदन पत्र बैंक ऑफ बड़ोदा, कोटा की किसी भी शाखा से प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है।
भूखण्डों का साईज/क्षेत्रफल एवं कीमत

क्र. सं.	श्रेणी	पात्रता हेतु आय वर्ग	भूखण्ड माप (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड की अनुमानित कीमत
1.	EWS	3 लाख तक	4.5 X 9	40.5	47	2,20,069/-
2.	LIG	3 से 6 लाख तक	6 X 12	72	108	6,25,974/-
3.	MIG-A	6 से 12 लाख	7.5 X 15	112.5	13	12,22,605/-
4.	MIG-B	12 से 18 लाख	9 X 18	162	4	18,49,450/-
5.	HIG- III	18 लाख से अधिक	12 X 21	252	33	30,12,499/-
6.	HIG- II	18 लाख से अधिक	12 X 24	288	6	34,42,856/-
7.	HIG- I	18 लाख से अधिक	15 X 27	405	11	48,41,516/-

योजना से सम्बन्धित समस्त जानकारी हेतु सम्पर्क करें-
श्री लालचन्द्र मटोरिया (सहायक अभियंता, कडीए कोटा)
मोबाईल नं. - 8107620806, 7976143540
हेल्प डेस्क :
स्वागत कक्ष-एकल सिड्डीकी, कडीए परिसर कोटा
योजना स्थल : सोगरिया रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एवं प्राचीन धार्मिक स्थल चन्द्रसल मठ के समीप स्थित है
शुभकामनाओं सहित
सचिव कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कोटा विकास प्राधिकरण